रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 272] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 1966/भाद्र 2, 1888

No. 272] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 1966/BHADRA 2, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1966

एस० ओ० 2608.—जबकि केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65वा) की धारा 18क के अधीन जारी किये गये उद्योग तथा संभरण मंत्रालय (उद्योग विभाग) स० एफ० एल० ई० आई० (ए)-26(15)/64, दिनाक, 24 सितम्बर, 1965 में अधिसूचित आदेश के द्वारा श्री यू० एन० राय, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का, जिसका नाम हिन्दुस्तान वेहिकिल्स लिमिटेड, पटना है (जिसका उल्लेख इसके पश्चात् अधिसूचना में अब 'औद्योगिक उपक्रम' के रूप मे किया जायगा), उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिये प्रबन्ध अपने हाथ में लेन का अधिकार दे दिया है :

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 ड० की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अपवादो, प्रतिबन्धों तथा सीमाओं के साथ सम्बद्ध अनुसूची में उन्हें निर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)

औद्योगिक उपक्रम में उसी प्रकार लागू होता रहेगा जैसा वह धारा 18 क के अन्तर्गत अधिसूचित आदेश जारी किये जाने से पूर्व लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	अपवाद, प्रतिबन्ध तथा सीमाएं जिनके अधीन कालम सं० (1) में उल्लिखित उबन्ध उपक्रम में लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 293 (1) (घ)	यह धारा औद्योगिक उपक्रम को चलाने के प्रयोजन से अधिकृत नियंत्रक द्वारा उधार ली गई धनराशि के संबंध में लागू नहीं होगी ।

[सं० एल० ई० आई० (ए)-26 (15)/64]

डी० आर० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968